न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 10 / 2024 (अपील)

उनवान

रामचरण आत्मज किशनलाल आयु 63 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम हरिपुरा नयांगाव तहसील दीगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, जिला कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. राजकीय पेरोकार (राजकीय पेरोकार , रेस्पो० की ओर से)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी आदेश दिनांक 20.03.2023 मि0नं0 1834 / 2023
न्यायालय नायब तहसीलदार, सुल्तानपुर, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 08.05.2024

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संक्षेप में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय एंव संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलवी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित हुऐ।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 20.03.2023 में अपीलाण्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही ग्राम हरिपुरा नयागांव तहसील दीगोद स्थित आराजी ख0नं0 93,95 रकबा 1.30 हैक्टर किस्म गे0मु0 बेहड भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर 1100/– रूपये जुर्माना एवं 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। और न ही पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई नोटिस है। किन्तु फिर भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती होना मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपीलाण्ट को आदेश की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा वर्णित आराजी पर से कब्जा छोड दिया है और तावान राशि जमा करवा दी है। अपीलाण्ट की ओर कोई तावान राशि बकाया नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। उसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.03.2023 में अपीलाण्ट को समुचित सूचना एवं नोटिस प्रदान किये बिना ही ग्राम हरिपुरा नयागांव तहसील दीगोद स्थित आराजी ख0न0 93,95 रकबा 1.30 हैक्टर किस्म गे0मु0 बेहड भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना मानकर 1100/– रूपये जुर्माना एवं 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त होने योग्य है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट को कोई नोटिस नही दिया गया, न ही अपीलाण्ट को कोई नोटिस प्राप्त हुआ है। और न ही पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई नोटिस है। किन्तु फिर भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती होना मानकर अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपीलाण्ट को आदेश की जानकारी होने पर अपीलाण्ट द्वारा वर्णित आराजी पर से कब्जा छोड दिया है और तावान राशि जमा करवा दी है। रेस्पोडेण्ट अप्रार्थी की ओर से उपस्थित राजकीय अभिभाषक का बहस मे कथन रहा है कि "अपीलाण्ट द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण करने पर उसे पूर्व में बेदखल किया गया है। इसके बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है।" उभय पक्ष की ओर से बहस में किये गये उक्त कथन, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके ग्राम **हरिपुरा नयागांव** स्थित आराजी खसरा नम्बर 93,95 रकबा 1.30 हैक्टयर किस्म **गे0मु0 बेहड** पर पश्चातवर्ती अतिकमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि इस निर्णय की दिनांक से एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मोके से कब्जा हटा लिया गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिकमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिकमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक से पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर ही निर्णय जैर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा जिला कोटा